रपट

देश के विभिन्न भागों में बच्चों की शिक्षा स्थितियों को बेहतर बनाने का कार्य सरकारी योजनाओं एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। मौजूदा स्थितियों में परिवर्तन के लिए आवश्यक घर्षण के दौर से गुजरना पड़ता है। यह घर्षण पूर्व में बनी स्थितियों एवं उसके अनुकूल बन चुके मन (माइंड सैट) तथा परिवर्तनकामी विचार के मध्य होता है।

स्वतंत्रता एवं प्रेम के अनुभव से बच्चों में होने वाले परिवर्तन एवं इन परिवर्तनों के दृष्टिगोचर होने पर शिक्षकों तथा अभिभावकों में भी परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया सरल न होकर द्वन्द्वात्मक होती है। बहुत से अवरोध इस संक्रमण के दौर में आते हैं लेकिन इस काम में लगे व्यक्तियों में विचार के प्रति आस्था, विश्वास तथा सम्मानजनक माहौल में यह संभव हो सकता है। व्यापक शिक्षा तंत्र में इसे ही विकल्प माना जा रहा है। कहीं न कहीं परिवर्तन की संभावना प्रकट करती है - प्रस्तुत रिपोर्ट।

सामाजिक शिक्षण कार्यक्रम : एक प्रयोग

❑ नवल किशोर सोनी

देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग संस्थाएं शिक्षा में नवाचारों को लेकर काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में केयर इण्डिया शिक्षा में नवाचारों के लिए प्रयास कर रही संस्थाओं को वित्तीय मदद करने के साथ-साथ स्वयं भी शिक्षा में नवाचारों के लिए प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के तहत केयर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के मोहनलाल गंज ब्लॉक के लगभग 153 प्राथमिक विद्यालयों में सामाजिक शिक्षण पैकेज के क्रियान्वयन पर काम कर रही है।

इस सामाजिक शिक्षण पाठ्यक्रम का उद्भव और विकास प्रदेश के हरदोई जिले में चल रहे लड़कियों के शिक्षा कार्यक्रम 'उड़ान' के तहत हुआ। यह कार्यक्रम दस से चौदह साल की ऐसी लड़कियों के लिए चलाया गया जो कभी स्कूल नहीं गईं या गईं भी तो थोड़े समय के लिए। लड़कियों का यह ऐसा समूह था जिसे उड़ान शिविर में शिक्षा नहीं मिलती तो शायद हमेशा के लिए यह समूह प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाता। आवासीय उड़ान शिविर में बालिकाओं का यह समूह दस माह के लिए रहकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करता था।

आवासीय उड़ान शिविर के संचालन का उद्देश्य जहां शिक्षा से वंचित बालिकाओं को एक निश्चित समयावधि में प्राथिमक शिक्षा के समकक्ष कौशल प्रदान करना था वहीं बालिकाओं में स्वतंत्र विचार करने की क्षमता का विकास करना, विश्लेषण के कौशल तथा खोजपूर्ण प्रवृत्ति का विकास करना था जिससे बालिकाओं में ऐसे कौशल, जानकारी और मनोवृत्तियों का विकास हो सके जिनसे वे दुनिया में बेहतर जीवन जीने में सक्षम हो सकें तथा साथ ही सीखने-सिखाने का आनन्ददायी माहौल उपलब्ध कराना ताकि उनमें आगे की शिक्षा के लिए उत्साह पैदा हो सके।

मई 2000 में 96 बालिकाओं के पहले बैच ने उड़ान कार्यक्रम के तहत अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। इन सभी बालिकाओं ने कक्षा 5 का इम्तिहान दिया। जिनमें से 91 बालिकाएं सफल हुईं। इनमें से ज्यादातर ने दूसरे स्कूलों में पढ़ना भी शुरू किया। इन बालिकाओं में आया बदलाव, उत्साह, आत्मविश्वास देखते ही बनता था। उड़ान शिविर में बालिकाओं के साथ काम करते समय ही सामाजिक शिक्षण कार्यक्रम की संकल्पना को मूर्त रूप दिया गया। इस पाठ्यक्रम को विकसित करने में संबंधों को केन्द्र में रखकर चला गया। उदाहरण के लिए; खुद से संबंध, परिवार, दोस्त, समुदाय एवं स्थानीय पर्यावरण से संबंध, वृहत समाज, संस्थाओं, प्रकृति, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक ढांचे से संबंधों तथा अर्न्तसंबंधों को इस पाठ्यक्रम का मूल विषय बनाया गया।

केयर ने अपने इस अनुभव से उत्साहित होकर प्रदेश सरकार के समक्ष प्राथमिक विद्यालयों के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। प्रदेश सरकार ने जनशाला/सर्वशिक्षा अभियान के तहत मोहन-लाल गंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों में प्रायोगिक तौर पर सामाजिक शिक्षण पाठ्यक्रम पर काम करने की मंजूरी दे दी।

इस मंजूरी के बाद केयर ने अपनी रणनीति का तानाबाना बुनना शुरू किया। इस तानेबाने के प्रथम चरण में जुलाई 2004 से ब्लॉक के कुछ विद्यालयों का एक अध्ययन करना तय हुआ जिसका उद्देश्य इन विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के शैक्षणिक स्तर का मोटा अंदाजा लगाने के साथ-साथ व्यवस्थात्मक एवं सामुदायिक स्थितियों का पता लगाना था। इस अध्ययन में ज्यादातर बच्चों का शैक्षणिक स्तर अपेक्षा से निम्न पाया गया। ज्यादातर विद्यालयों में बच्चे अपनी बात स्पष्टता से कहने तथा बड़े समूह के सामने रखने में झिझक अनुभव करते थे। विद्यालयों में अनुशासन

अत्यधिक सख्त था। बच्चे डरे-डरे, सहमे-सहमे कतारबद्ध बैठे रहते थे। यदि कहीं शिक्षक पढ़ाते भी थे तो शिक्षण कार्य में एक तरफा संवाद होता था। बच्चों को अपनी सहमति व असहमति को व्यक्त करने के कोई अवसर नहीं होते थे। शिक्षक पढ़ाने से अधिक समय सरकारी कागजी कार्यवाहियों को पूरा करने या आपसी गपशप में व्यतीत करते थे। शिक्षक-बालक संबंध औपचारिक व यांत्रिक थे।

शुरू-शुरू में मुझे शिक्षकों ने मजाक में बताया कि उत्तर प्रदेश की सभी प्राथमिक कक्षाओं में बोर्ड परीक्षा होती है। इस वाक्य का मतलब मुझे तब समझ में आया जब बच्चों की परीक्षाओं के दौरान इन विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न तथा उत्तर दोनों एक साथ लिखकर बच्चों से नकल करने को कहा गया। ज्यादातर विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अपने निजी कार्य करवाना जैसे पानी मंगवाना, पान मसाला मंगवाना, कुर्सी मंगवाना इत्यादि एक आम परंपरा की तरह था जिस पर शायद ही कभी कोई सोचता हो। शाला व्यवस्था संबंधी कार्यों में बच्चों की कोई सहभागिता नहीं थी। उन्हें सिर्फ शिक्षकों के आदेशों का पालन करना होता था। समुदाय सदस्यों व ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें भी सिर्फ कागजी कार्यवाहियों तक सीमित थीं। इस अध्ययन के दौरान विद्यालयों का तथ्यात्मक व सूचनात्मक ब्यौरा भी इकट्ठा किया जो कि आगे कार्य की रणनीति का हिस्सा बना।

समुदाय के साथ मिलकर कार्य करने की एक रूपरेखा बनी। इस रूपरेखा के तहत् सभी स्तरों पर सतत प्रयास करने की योजना बनी। योजना के प्रथम चरण में अगस्त 2004 की योजना के अन्त तक ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 350 शिक्षकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण अलग-अलग चक्रों में संपादित हुआ।

इस प्रशिक्षण के दौरान ज्यादातर शिक्षक कार्यक्रम से अपेक्षित बदलावों के प्रति सैद्धांतिक रूप से तो सहमत थे परन्तु व्यावहारिक रूप से इसे लागू करने में शिक्षकों ने कई प्रकार की दिक्कतें और चिन्ताऐं जताईं। जिसमें मुख्य रूप से सरकारी कागजी कार्यवाहियों का बोझ, अध्यापन कार्य से इतर तमाम प्रकार के कार्यों जैसे मतगणना, पल्स पोलियो, जनगणना इत्यादि में लगे रहना और इसी कारण से पाठ्यक्रम का तय समय सीमा में पूरा न होना आदि बताया गया। खास बात यह थी कि प्रशिक्षण के प्रत्येक चक्र में कमोबेश रूप से उक्त समस्याएं समान रूप से रखी गईं और प्रत्येक चक्र में प्रशिक्षकों द्वारा इन समस्याओं का विश्लेषण समय के संदर्भ में करना पड़ा।

चूंकि शुरू में प्रत्येक विद्यालय में सप्ताह में तीन दिन एक घंटा सामाजिक शिक्षण पर काम करने की योजना बनी। अत: इस एक घंटे को समायोजित करना बेहद सरल काम था। हालांकि ज्यादातर शिक्षकों की शायद यह मानसिकता भी थी कि जिस तरह से अन्य तमाम प्रकार के प्रशिक्षण होते रहते हैं उनमें से यह भी एक है। विद्यालयों में कौन देखने वाला है कि सामाजिक शिक्षण पर काम हो रहा है कि नहीं। इस मानसिकता की एक ठोस वजह यह भी थी कि विद्यालयों में अकादमिक मदद के लिए नियुक्त न्याय पंचायत प्रभारी मात्र अभिलेखिय पत्रावलियों का निरीक्षण करने व सूचनाओं के संग्रहण तक अपने आप को सीमित मानते थे। विद्यालयों में शिक्षण कार्य हो रहा है या नहीं इससे इनका कोई सरोकार नहीं होता था। शुरू में सामाजिक शिक्षण समन्वयकों की टीम, जो कार्यक्रम के नियमित अनुश्रवण, मूल्यांकन व मदद के लिए बनी थी, को भी शिक्षकों ने इसी अन्दाज में देखना शुरू कर दिया।

परन्तु जब सामाजिक शिक्षण समन्वयक नियमित और समय पर सामाजिक शिक्षण का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पहुंचने लगे तो सामाजिक शिक्षण पर काम करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य-सा हो गया। नवनियुक्त शिक्षामित्रों ने इस काम में विशेष रूचि लेना शुरू किया। विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भी इस काम को समझ कर मदद कर पायें इस उद्देश्य से इनका भी एक दिवसीय प्रशिक्षण अलग से सम्पादित करवाया गया। इस ब्लॉक में कुल 14 न्याय पंचायतें हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत पर एक-एक अनुभवी व्यक्ति की भी नियुक्ति की गई जिसे सामाजिक शिक्षण समन्वयक का नाम दिया गया। इन समन्वयकों के पास विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारात्मक काम करने का लम्बा अनुभव था। अत: इनके साथ सामाजिक शिक्षण पैकेज की गतिविधियों पर साझी समझ बनाने की दृष्टि से तीन दिन की एक अभिमुखीकरण कार्यशाला की गई।

सामाजिक शिक्षण पैकेज में यों तो कक्षा 4 व 5 के बच्चों के लिए अलग-अलग थीम्स हैं परन्तु पहले वर्ष दोनों कक्षाओं के बच्चों के साथ कक्षा 4 की थीम्स पर सामूहिक रूप से काम करना तय हुआ। पैकेज की पहली थीम अभिव्यक्ति से संबंधित थी। इसमें कहानी सुनना-सुनाना, पहेलियां पूछना, हावभाव से बाल कविताएं करना, आईना सिर्फ एक मिनट, मूकाभिनय, नाटक इत्यादि गतिविधियां थीं। इसी तरह परिवार व्यवस्था और नियम, समाचार और अखबार, चुनाव, अपनी देखभाल, यात्रा, डाकघर, संचार के माध्यम, परिवेश, अंतर्संबंध व विविधता, राशन कार्ड, पंचायत, विकेन्द्रिकरण, संकट कर्ज और बैंक, शरीर की समझ, बीमारियों का स्थानीय उपचार, स्वास्थ्य तंत्र की समझ, विवाह इत्यादि ऐसी थीम्स थीं जिनका उद्देश्य बच्चों में बेझिझक बोलने, स्पष्ट अभिव्यक्ति व संवाद करने के कौशलों का विकास करने के साथ-साथ अपने परिवेश में पाई जाने वाली विभिन्न संस्थाओं (परिवार, विवाह सहित) के कार्यों का विश्लेषण करके अपनी विवेक सम्मत समझ बना

पाना था।

उपरोक्त सभी थीम्स पर शिक्षक बच्चों के साथ पैकेज में दी गई गतिविधियां करते थे। हालांकि सभी थीम्स के लिए समय निर्धारित था। परन्तु यदि बच्चों को समस्या आती थी तो किसी थीम पर अधिक समय देने या दोहरान कराने के लिए शिक्षक स्वतंत्र होते थे।

किसी गतिविधि को बच्चों के साथ करने में शिक्षकों को कोई समस्या आती तो सामाजिक शिक्षण समन्वयक शिक्षकों की मदद करते थे। अत: मासिक बैठकों में शिक्षकों के साथ कार्य के दौरान आयी समस्याओं पर काम करने के साथ-साथ शिक्षण में इन विधाओं के महत्त्व पर भी विस्तार से चर्चाएं करके साझी समझ बनाने का कार्य किया गया। अनेक बार ये समन्वयक सीधे बच्चों के साथ भी जुड़कर कार्य करते थे। हालांकि क्षेत्र के कुछेक विद्यालय ऐसे भी थे जहां समन्वयकों के निरन्तर प्रयासों के बावजूद भी शिक्षकों ने काम में विशेष रुचि नहीं दिखाई।

सामाजिक शिक्षण समन्वयक प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों के काम का अवलोकन करके उन्हें अपना फीडबैक देते थे। प्रत्येक न्याय पंचायत के शिक्षकों की मासिक बैठक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर होती थी। इस बैठक में शिक्षक पूरे माह के अपने काम की शेयरिंग के साथ-साथ समीक्षा भी करते थे। सरकार द्वारा विद्यालयों में अकादमिक मदद हेतु नियुक्त न्याय पंचायत प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होते थे। परन्तु इनमें से बहुत कम लोग इस काम में सीधे जुड़कर मदद कर पाये।

सामाजिक शिक्षण समन्वयक इस बैठक में अपने अवलोकन शिक्षकों के साथ शेयर करते थे। यह अवलोकन मुख्यत: शिक्षक द्वारा तैयारी, कक्षा में सामाजिक व लैंगिक समता, शिक्षक-बालक संबंध, गतिविधि का क्रियान्वयन, गतिविधियों पर टिप्पणी इत्यादि बिन्दुओं पर केन्द्रित होते थे। इन अवलोकनों के दौरान अक्सर पाया जाता कि शिक्षक गतिविधियों के दौरान कक्षा में सामाजिक व लैंगिक विषमताओं के उदाहरण एवं उन्हें दूर करने के उपाय नहीं सुझा पाते थे। और न ही इन विषयों पर बच्चों के साथ गंभीरता से काम कर पाते थे। कक्षा में अक्सर बालक और बालिकाएं अलग-अलग बैठते थे।

सामाजिक शिक्षण पैकेज पर काम करते समय बच्चों की बैठक व्यवस्था गोल घेरे में होती थी। इस कालांश में शिक्षक भी बच्चों के साथ गोल घेरे में ही बैठकर काम करता था। गतिविधियों के दौरान विभिन्न मिले-जुले समूहों में बच्चों को काम करने के अवसर उपलब्ध कराये जाते थे। सामाजिक शिक्षण पैकेज में ऐसी कई गतिविधियां थीं जिन पर काम करते हुए शिक्षक व बच्चों के बीच की दूरियां कम हुईं। उदाहरण के लिए अपनी-अपनी राम कहानी के तहत-शिक्षक और बच्चे अपने-अपने बारे में एक दूसरे को विस्तार से बताते थे जिनके परिणामस्वरूप बच्चों के साथ शिक्षकों के नजदीकी संबंध बने। अब बच्चे पहले की अपेक्षा अधिक मुखर नजर आने लगे।

मासिक समीक्षा बैठक में ज्यादातर शिक्षक यह समस्या रखने लगे कि बच्चे अब प्रत्येक कालांश में सामाजिक शिक्षण की ही मांग करते हैं। अन्य विषयों में रुचि ही नहीं लेते। हालांकि यह बच्चों का बहुत स्पष्ट संकेत होता था कि अन्य विषयों को भी इतने ही रुचिकर तरीके से पढ़ाया जाए जितना कि सामाजिक शिक्षण पढ़ाया जाता है। बच्चों के साथ सामाजिक एवं लैंगिक भेदभाव ज्यादातर विद्यालयों में चरम पर था। बच्चों को जातीय आधार पर संबोधित करना, शिक्षक द्वारा खास जाति या धर्म के बच्चों से ही पीने का पानी मंगवाना, विद्यालय में झाड़ू लगाने का कार्य अक्सर लड़कियों से ही करवाना, बच्चों को बेरहमी से पीटना आदि आम बातें थीं। मासिक समीक्षा बैठकों में सतत बातचीत करने व उक्त मुद्दों पर शिक्षकों की समझ बनने के बाद स्थितियों में बदलाव आना शुरू हुआ। मेरी न्याय पंचायत के दस में से छ: विद्यालय ऐसे थे जिनके शिक्षकों ने सतत बातचीत के चलते बच्चों के साथ डण्डे का प्रयोग बिल्कुल बन्द कर दिया था। जातीय आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव ज्यादातर विद्यालयों में अब भी व्यापक स्तर पर देखा जा सकता है। प्रदेश में हाल ही में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की योजना लागू हुई। इस योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में एक खाना बनाने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की गई। इस योजना में प्रावधान था कि खाना बनाने के लिए पहली प्राथमिकता अनुसूचित जाति से संबद्ध किसी व्यक्ति को दी जाए। मैंने अपने अध्ययन में पाया कि पूरे ब्लॉक के 153 विद्यालयों में से एक भी विद्यालय में उक्त जाति से संबद्ध किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई। पाया यह गया कि प्रत्येक विद्यालय में सवर्ण या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबद्ध व्यक्ति ही इस कार्य के लिए नियुक्त किये गये। जब न्याय पंचायत प्रभारी व कुछ विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से मैंने इस बाबत बात कि तो उन का जवाब था कि किसी ऐसी वैसी जाति के व्यक्ति के हाथ का बना खाना न तो बच्चे खायेंगे और न ही उनके अभिभावक इसके लिए तैयार होंगे। आश्चर्य इस बात का था कि ज्यादातर विद्यालयों में उन बच्चों की संख्या का प्रतिशत अधिक था जिन्हें अनुसूचित जाति का कहा जाता था।

सामाजिक शिक्षण पैकेज के तहत विद्यालयी व्यवस्थाओं में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने की गरज से प्रत्येक कार्य के लिए बच्चों की समितियां बनाई गई थी। भोजन वितरण समिति में ज्यादातर विद्यालयों में शिक्षकों ने उन बच्चों को प्राथमिकता दी जो कि सवर्ण जाति से संबंध रखते थे। कहीं-कहीं तो खाना बनाने

वाला व्यक्ति इन बच्चों को निर्देशित भी करता था कि किस बच्चे की प्लेट से चम्मच छुआना है और किसकी से नहीं। इन सब स्थितियों पर मासिक बैठकों में शिक्षकों से व समुदाय बैठकों में बच्चों के अभिभावकों के साथ सतत बातचीत की गई।

यहां कुछ उदाहरणों का जिक्र मात्र किया गया है। सामाजिक शिक्षण कार्यक्रम के चलते इन स्थितियों में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। सामाजिक शिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के छ: माह बाद बच्चों में व विद्यालय वातावरण में आए बदलावों को लेखबद्ध करने की दृष्टि से फिर एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन की जिम्मेदारी सामाजिक शिक्षण समन्वयकों के एक छोटे समूह को दी गई। इस समूह ने बच्चों, शिक्षकों, समुदाय सदस्यों, प्रधानाध्यापकों, न्याय पंचायत प्रभारियों, ग्राम प्रधानों (सरपंच) व ब्लॉक संसाधन समन्वयक से बातचीत करने के लिए अलग-अलग प्रश्नावलियों का निर्माण किया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में विकसित तर्क एवं विश्लेषण क्षमता, आत्मविश्वास, स्पष्ट व मुखर अभिव्यक्ति इत्यादि क्षमताओं की एक सहज माहौल में जांच करना था। इस अध्ययन के परिणाम सकारात्मक व उत्साहित करने वाले रहे। ज्यादातर बच्चे अब बेझिझक होकर स्पष्टता से अपनी बात कहने में सक्षम थे।

प्रत्येक विद्यालय में एक घंटा सामाजिक शिक्षण पैकेज पर काम होता था। यह काम कक्षा 4 व 5 के बच्चों के साथ सामूहिक रूप से होता था। आगामी सत्र से इन दोनों कक्षाओं के बच्चों के साथ अलग-अलग काम करने की योजना बनी। विद्यालय में समय देने के बाद सामाजिक शिक्षण समन्वयक समुदाय के साथ सम्पर्क करके सामाजिक शिक्षण पैकेज के उद्देश्यों पर समुदाय की समझ बनाने का कार्य करता था। समुदाय बैठकों में शुरू में बहुत कम लोग आते थे। परन्तु समुदाय सदस्यों से सतत सम्पर्क व रिश्ते बनने के बाद इन बैठकों में समुदाय सदस्यों की भागीदारी बढ़ने लगी। आरंभ में कुछ गांवों में बच्चों को गीत-कविताएं, नाटक इत्यादि कराने पर समुदाय सदस्यों ने आपत्तियां उठाईं। घर के कामों जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना इत्यादि को लड़कों से भी करवाने पर समुदाय सदस्य सहमत नहीं होते थे। मगर शिक्षकों, समन्वयकों के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे सब सहज होता चला गया। इन प्रयासों के चलते ही अब ज्यादातर विद्यालयों में नियमित समुदाय व ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें होने लगीं। हालांकि इन बैठकों में सामाजिक शिक्षण विषय ही ज्यादा केन्द्र में रहता था। प्रशासनिक निर्णयों के संदर्भ में इन समुदाय सदस्यों की भूमिका को स्वीकार करने से शाला शिक्षक व संबंधित अधिकारी कतराते ही थे।

3-3 माह के अन्तराल पर विद्यालय स्तर पर समुदाय सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया। इन सम्मेलनों में बच्चों ने निस्संकोच अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दीं। अपने बच्चों में आये बदलावों को देखकर समुदाय सदस्य अचंभित थे। फरवरी माह में ब्लॉक स्तरीय समुदाय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजन में समुदाय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों व बच्चों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। मार्च माह में वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते फील्ड में नियमित रूप से शिक्षकों को अकादमिक मदद करने वाले सामाजिक शिक्षण समन्वयकों की टीम को अत्यधिक छोटा करना पड़ा।

जून माह से इस काम के लिए मात्र दो व्यक्तियों को आगे के काम की जिम्मेदारी दी गई। इन दो व्यक्तियों ने अन्य सन्दर्भ व्यक्तियों व संस्था कार्मिकों के साथ मिलकर आगामी चरण के शिक्षक-प्रशिक्षण की योजना को अंतिम रूप दिया। 16 मई से 17 जून की समयावधि में ब्लॉक के लगभग 350 शिक्षकों के दूसरे चरण का प्रशिक्षण 5-5 दिन के छ: चक्रों में सम्पादित किया गया। इस प्रशिक्षण में बच्चों के साथ काम करने के दौरान आ रही समस्याओं पर काम करने के साथ-साथ समता, जाति, धर्म, विविधता, अनुशासन के मायने, दण्ड-भय के औचित्य व प्रभाव, बेहतर गतिविधि का मापदण्ड, संवाद की विशेषताएं तथा बच्चे कैसे सीखते हैं? आदि मुद्दों पर शिक्षकों की साझी समझ बनाने की दृष्टि से सघनता से काम किया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान ब्लॉक की सरकारी संस्थाओं यथा अस्पताल, पुलिस थाना, डाकघर, विभिन्न बैंक, खण्ड विकास कार्यालय व रेल्वे स्टेशन इत्यादि का भ्रमण भी शिक्षकों को करवाया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य उक्त संस्थाओं की कार्य प्रणाली, इनकी जरूरत तथा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक तौर पर इनके कार्यों में फर्क को समझ पाना इत्यादि था। चूंकि सामाजिक प्रशिक्षण पैकेज में भ्रमण से संबंधित एक थीम भी है जिस पर शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करवाना था। अत: भ्रमण संबंधी तैयारियों, सावधानियों व क्या बच्चों के साथ इस तरह के भ्रमण संभव हैं ? पर शिक्षकों की समझ बनाने के साथ-साथ उनको इस जीवंत अनुभव से गुजरने के अवसर उपलब्ध कराना भी इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य था। जो काफी हद तक सफल रहा।

आगामी सत्र से कक्षा 4 व 5 के बच्चों के साथ सामाजिक शिक्षण पर अलग-अलग कार्य करने की योजना है। इस काम की देखरेख के लिए 3-4 समन्वयकों का एक छोटा समूह नियुक्त करना तय हुआ है तथापि केयर उत्तर प्रदेश का प्रयास है कि आगामी सत्र में सरकारी तंत्र में पहले से ही विद्यमान न्याय पंचायत प्रभारी इस काम के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन का काम करें तथा केयर इस कार्य को यथासंभव तकनीकी मदद का काम करे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के न्याय पंचायत प्रभारी इस कार्यक्रम को केयर की मदद से सफलता पूर्वक संचालित करते हुए अपेक्षित परिणामों को प्राप्त कर पायेंगे। ◆